भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 3154
दिनांक 13 दिसंबर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत स्वास्थ्य केंद्र

†3154. श्री नवसकनी के.:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) संपूर्ण देश में उप-केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (पीएचसी) और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (सीएचसी) सहित राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के अंतर्गत उन्नत/स्थापित स्वास्थ्य सुविधाओं की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या कितनी है;
(ख) क्या सरकार ने ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना और सेवा प्रदायगी में कमियों की पहचान की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) इन कमियों को दूर करने और ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;
(घ) क्या सरकार ने ग्रामीण स्वास्थ्य परिणामों पर एनआरएचएम के प्रभाव का कोई मूल्यांकन कराया है; और
(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में किए जा रहे सुधारात्मक उपायों सहित ऐसे मूल्यांकनों के प्रमुख निष्कर्ष क्या हैं?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ङ): भारत के स्वास्थ्य आयाम (अवसंरचना और मानव संसाधन) 2022-23 एक वार्षिक प्रकाशन है, जो राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा रिपोर्ट किए गए स्वास्थ्य परिचर्या प्रशासनिक आंकड़ों पर आधारित है। विभिन्न राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कार्यशील स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों का विवरण एचडीआई 2022-23 के निम्नलिखित लिंक पर देखा जा सकता है:

https://mohfw.gov.in/sites/default/files/Health%20Dynamics%20of%20India%20%28Infrastructure%20%26%20Human%20Resources%29%202022-23_RE%20%281%29.pdf

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे में सुधार, स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में पर्याप्त मानव संसाधनों की उपलब्धता, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में अल्पसेवित और हाशिए पर रह रहे समूहों के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा की उपलब्धता और पहुंच में सुधार के लिए सहायता प्रदान करता है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय एनएचएम के तहत कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) के रूप में प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को मजबूत करने के लिए राज्यों/

संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। भारत सरकार मानदंडों और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार कार्यवाही के रिकॉर्ड (आरओपी) के रूप में प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान करती है।

भारत सरकार द्वारा एनएचएम के तहत विभिन्न राज्यों में की गई विभिन्न पहलों में आयुष्मान आरोग्य मंदिर, राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवाएं, मोबाइल मेडिकल यूनिट, आशा, 24 x 7 सेवाएं और प्रथम रेफरल सुविधा केंद्र, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम, नि:शुल्क निदान सेवा पहल और नि:शुल्क दवा सेवा पहल, प्रजनन और बाल स्वास्थ्य के तहत विभिन्न कार्यकलाप, एनीमिया मुक्त भारत (एएमबी) कार्यनीति, प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान (पीएमटीबीएमबीए) और सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम शामिल हैं।

आयुष्मान आरोग्य मंदिर के माध्यम से उप स्वास्थ्य केंद्रों (एसएचसी) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) को सुदृढ़ करके व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान की जाती है। ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर (एएएम) प्रजनन और बाल स्वास्थ्य सेवाओं, संक्रामक रोगों, गैर-संचारी रोगों और अन्य स्वास्थ्य मुद्दों को शामिल करते हुए सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए निवारक, प्रोत्साहन, पुनर्वास और उपचारात्मक देखभाल प्रदान करते हैं।

भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने 64,180 करोड़ रुपये की लागत से प्रधानमंत्री-आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) की शुरुआत की। पीएम-एबीएचआईएम के तहत किए जाने वाले उपायों का उद्देश्य प्राथमिक, मध्यम और विशिष्ट स्तर पर परिचर्या की निरंतरता में स्वास्थ्य प्रणालियों और संस्थानों की क्षमता विकसित करना है, ताकि वर्तमान और भावी महामारियों/आपदाओं से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए स्वास्थ्य प्रणालियों को तैयार किया जा सके।

पंद्रहवें वित्त आयोग (एफसी-XV) ने स्वास्थ्य क्षेत्र के विशिष्ट घटकों के लिए स्थानीय सरकारों के माध्यम से 70,051 करोड़ रुपये के अनुदान की सिफारिश की है और इसे केंद्र सरकार ने स्वीकार कर लिया है। स्थानीय सरकारों के माध्यम से स्वास्थ्य के लिए ये अनुदान वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 तक की पांच साल की अवधि में दिए जाएंगे और इनसे जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी।

एनएचएम के तहत, समीक्षा बैठकों, मुख्य प्रदायगी की मध्यावधि समीक्षा, वरिष्ठ अधिकारियों के क्षेत्र दौरों, सेवा प्रदायगी के लिए मानक स्थापित करके प्रदर्शन को बढ़ावा देकर और उपलब्धियों को पुरस्कृत करके विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों के प्रदर्शन का नियमित रूप से मूल्यांकन किया जाता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के कामकाज का नियमित रूप से बाहरी सर्वेक्षणों जैसे राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) और नमूना पंजीकरण प्रणाली (एसआरएस) द्वारा मूल्यांकन किया गया है। इसके अलावा, एनएचएम के तहत, विभिन्न योजनाओं की प्रगति और कार्यान्वयन की स्थिति का आकलन और निगरानी करने के लिए वार्षिक सामान्य समीक्षा मिशन (सीआरएम) आयोजित किए जाते हैं। सीआरएम की प्रमुख कार्यनीति और प्राथमिकता वाले क्षेत्र स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करने के संबंध में चुनौतियों का विश्लेषण करना, प्रमुख संकेतकों की प्रगति में रुझानों की पहचान करना, नई पहलों के कार्यान्वयन के लिए राज्य की तत्परता का मूल्यांकन करना और विभिन्न भागीदारों के साथ प्रगति और समन्वय तंत्र की समीक्षा करना है।

सीआरएम की विभिन्न रिपोर्टों का विवरण सार्वजनिक डोमेन https://nhm.gov.in/index1.php?lang=1&level=1&sublinkid=795&lid=195 में उपलब्ध है।

*****